IWMP
परिपत्र क्र.5

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र. 11426/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 23/08/10

प्रति,

कलेक्टर,
मिशन लीडर – राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के अंतर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरण (Stages)।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 ज्ञातव्य है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के नाम से नवीन योजना आरंभ की गई है। ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1.1.1 मृदा संरक्षण और जल संरक्षण व संवर्धन

1.1.2 वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि

1.1.3 संरक्षित, संवर्धित तथा विकसित प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं कुशल प्रबंधन

1.1.4 कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि

1.1.5 संवहनीय आजीविका के सृजन हेतु श्रमजन्य रोजगार के साथ साथ रोजगार के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन

1.2 पूर्व के अनुभवों के आधार पर एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की कार्यप्रणाली संवर्धित की गई है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1.2.1 जिला एवं परियोजना स्तर पर पूर्णकालिक एवं समर्पित संस्थागत व्यवस्था एवं इस हेतु वित्तीय सहायता

1.2.2 ग्रामीण सहभागी समीक्षा और तकनीकी/वैज्ञानिक प्रणालियों का समावेश कर लक्ष्य आधारित व परिणाममूलक (Goal and Outcome Oriented) कार्ययोजना तैयार करना

1.2.3 रिज–टू–वेजी के वाटरशेड सिद्धांत के आधार पर जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का कार्यान्वयन और संवहनीय आजीविका सृजन के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि के कार्यकलापों, अन्य आयमूलक कार्यकलापों और लघु उद्यमों का कार्यान्वयन। सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन

1.2.4 आयोजना, कार्यान्वयन और विकसित संसाधनों, सृजित/जनित परिसम्पत्तियों के रख रखाव व प्रबंधन के लिए समुदाय विशेषकर संसाधनहीन गरीबों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और इस हेतु सामाजिक जुड़ाव के कार्यकलाप करना तथा संस्थापन व क्षमता निर्माण को विशेष महत्व

1.2.5 वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों की निविष्टयां

1.2.6 समान उद्देश्य वाली अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

1.2.7 निजी क्षेत्र सहित अन्य स्त्रोतों से अतिरिक्त निधियां जुटाना

1.2.8 सहभागी, परिणामी तथा प्रभावकारी अनुश्रवण/निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणाली लागू करना

1.3 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के उक्त उल्लेखित उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से किया जाना है, जिसके संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

2. **<u>जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं विभिन्न चरण</u>** :–

2.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए निम्नानुसार 3 चरण क्रमबद्ध रूप से निर्धारित किये गये है :–

1. प्रारंभिक चरण

2. कार्य चरण

3. समेकन तथा निवर्तन चरण

2.2 स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र के विस्तार तथा अपेक्षित परिणामों के दृष्टिगत **परियोजना की अवधि** 4 से 7 वर्ष हो सकती है, जिसे चरणवार निम्नानुसार बांटा जा सकता है :–

चरण	नाम	अवधि
I	प्रारंभिक चरण	1 – 2 वर्ष
II	वाटरशेड कार्य चरण	2 – 3 वर्ष
III	समेकन और निवर्तन चरण	1 – 2 वर्ष

2.3 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यकलापों को चरणबद्ध बनाने हेतु आंतरिक तर्क संगतता और स्थानीय परिस्थितियों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी। यह प्रत्येक गांव में व्याप्त प्रारंभिक स्थितियों, आवश्यकताओं, संभावनाओं, समुदाय की प्रतिक्रिया आदि अन्य कारणों पर भी निर्भर होगी।

3 <u>प्रारंभिक चरण</u> :–

3.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना प्रारंभ होने पर इस प्रारंभिक चरण का प्रमुख उद्देश्य परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन एवं रख रखाव में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक जुड़ाव के कार्यकलाप करना, इनके सामुदायिक संगठनों को सशक्त बनाने हेतु उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना और परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करना है। इस चरण में प्रमुखतः निम्न कार्यकलाप शामिल होंगे :–

3.1.1 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से प्राप्त होने वाली परियोजना निधि के संधारण व उपयोग हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर बैंक अकाउन्ट खोलना

3.1.1 परियोजना के विभिन्न अवयवों के संबंध में ग्रामीणों में जागरूकता सृजन के लिए सामाजिक जुड़ाव के कार्यकलापों की आयोजना, स्वीकृति तथा निष्पादन करना। इन कार्यों के दस्तावेज तथा लेखा संधारण करना।

3.1.2 ग्रामीणों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी और वाटरशेड डेवलपमेंट टीम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप (Entry Point Activity) की आयोजना, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन करना। इन कार्यों के दस्तावेज तथा लेखा संधारण करना।

3.1.3 वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं/संगठनों का नेटवर्क तैयार करना

3.1.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से विभिन्न आंकड़े/जानकारी एकत्र करना

3.1.5 परियोजना के कार्य क्षेत्र में ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों की सक्रिय भागीदारी से सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागी संसाधन सर्वेक्षण, नेट प्लानिंग, तकनीकी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य प्रक्रियायें अपनाकर परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिट्टी, पानी और वानस्पतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन व विकास, संवहनीय ग्रामीण आजीविका तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों के विकास हेतु ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यकलापों का चयन, हितग्राहियों का चयन, कार्य स्थलों का निर्धारण और उच्च गुणवत्तायुक्त तथा तकनीकी रूप से परिपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। इसमें प्रस्तावित कार्यों की इंजीनियरिंग डिजाईन व ड्राइंग स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार करना, लागतों का निर्धारण, प्राक्कलन तैयार करना, विभिन्न मानचित्र तैयार करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अन्य वांछित कार्य भी शामिल होंगे। इस कार्य में तकनीकी और वैज्ञानिक संगठनों से सहयोग लेना तथा समन्वय करना।

3.1.6 ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठनों जैसे उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समितियों का गठन करना, इनके प्रचालन के नियम निर्धारित कराना तथा परियोजना के विभिन्न पहलुओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण के कार्यकलाप प्रारंभ करना। इन संगठनों के उत्तरदायित्व निर्धारित करना। वाटरशेड समितियों का पंजीयन कराना और

उनके बैंक अकाउन्ट खुलवाना। वाटरशेड समिति के सचिव का चयन व नियुक्ति करना।

3.1.7 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा वाटरशेड समितियों के स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड और रजिस्टर का खुलवाना और इनका नियमित संधारण प्रारंभ कराना। इन दस्तावेजों की नियमित निगरानी व परीक्षण और अंकेक्षण कराना। वार्षिक लेखा अंकेक्षण कराना।

3.1.8 निष्पादित कार्यकलापों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अंकेक्षण करना और संधारित करना।

3.1.9 नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा अंकेक्षण की रिपोर्ट जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना।

3.1.10 समानता और सतत के सिद्धांतों के आधार पर सहभागी पद्धति में विभिन्न सामुदायिक संगठनों नामतः उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समितियों के बीच आवश्यक अनुबंध तैयार करना।

3.1.11 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त करना।

3.1.12 अपनाई गई प्रक्रियाओं और निष्पादित कार्यो/प्रयोजनों की सतत् निगरानी/मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और सत्यापन। विशेषकर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता और संवहनीयता की मॉनिटरिंग। मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर परियोजना निधि से नियमानुसार व्यय एवं भुगतान। ऑनलाईन मॉनिटरिंग के लिए एम.आई.एस. का संधारण प्रारंभ करना।

3.2 प्रारंभिक चरण के दौरान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की वाटरशेड डेवलपमेंट टीम एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निर्वाह करेगी। प्रारंभिक चरण के कार्यकलापों के निष्पादन हेतु जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजना निधि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।

4 **वाटरशेड कार्य चरण** :–

4.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की परियोजना अवधि में **यह चरण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण** और केन्द्र बिन्दु होगा, जिसमें अनुमोदित विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ ढंग से ग्रामीणों की सहभागिता से कार्यान्वित किया जायेगा। इस चरण के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

4.1.1 कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन, प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त करना।

4.1.1 रिज–टू–वेली के सिद्धांत के आधार पर जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्यान्वयन

4.1.2 वानस्पतिक आच्छादन के विकास के कार्यों का कार्यान्वयन

4.1.3 घास उत्पादन तथा पशु प्रबंधन के कार्यकलाप

4.1.4 कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणालियों का संर्वधन तथा उपयुक्त कृषि उत्पादन प्रणाली अपनाना

4.1.5 स्वसहायता समूहों को परिक्रामी निधि (Revolving Fund) उपलब्ध कराकर आजीविका संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, इस हेतु बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड संयोजन और कार्यकलाप के संचालन/प्रचालन की व्यवस्था करना। स्वसहायता समूहों के परिसंघो का गठन।

4.1.6 लघु उद्यमों का कार्यान्वयन

4.1.7 ग्रामीणों के सामुदायिक संगठनों नामतः उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समितियों को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम का सहयोग, समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करवाना। इन संगठनों को क्रियाशील बनाये रखना।

4.1.8 ग्रामीणों के सामुदायिक संगठनों नामतः उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समितियों की क्षमता निर्माण हेतु सतत् कार्य करना।

4.1.9 निष्पादित कार्यों के एवज में उपयोगकर्ता प्रभार तथा योगदान राशि एकत्रित करना और इसे वाटरशेड विकास निधि में जमा करना।

4.1.10 विकसित संसाधनों, सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं स्थापित करना।

4.1.11 ग्रामीण सामुदायिक संगठनों अथवा परियोजना से संबंधित विभिन्न संगठकों के विवादों का समाधान करना, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

4.1.12 सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन (Common Property Resource Management) तथा इसमें ग्रामीणों की समान भागीदारी करना, विशेषकर संसाधनहीन ग्रामीणों के लिये भोगाधिकार सुनिश्चित करना।

4.1.13 ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की योजनाओं से अभिसरण (Convergence) कर परियोजना में Value Addition करना

4.1.14 ग्रामीण सामुदायिक संगठनों अथवा परियोजना से संबंधित विभिन्न संगठकों के विवादों का समाधान करना।

4.1.15 विभिन्न कार्यो के कार्यान्वयन में किफायती व अभिनव तकनीकों/प्रौद्योगिकियों और स्थानीय ग्रामीणों के ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित तकनीकों/प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा प्रोत्साहित करना। इस कार्य में अकादमिक और शोध संस्थानों/संगठनों के साथ समन्वय करना और उनका सहयोग प्राप्त करना।

4.1.16 अपनाई गई प्रक्रियाओं और निष्पादित कार्यो/प्रयोजनों की सतत् निगरानी/मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और सत्यापन। विशेषकर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता और संवहनीयता की मॉनिटरिंग। मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर परियोजना निधि से नियमानुसार व्यय एवं भुगतान। ऑनलाईन मॉनिटरिंग के लिए एम.आई.एस. का संधारण।

4.1.17 परियोजनाओं का बाह्य संस्थाओं/संगठनों द्वारा बाह्य मूल्यांकन कराना और मूल्याकंन के परिणामों के आधार पर आवश्यकता होने पर वांछित सुधार करना।

4.1.18 परियोजना के कार्यकलापों के सभी दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का नियमित संधारण तथा रख–रखाव सुनिश्चित करना। इन दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर की नियमित निगरानी व परीक्षण और अंकेक्षण कराना। वार्षिक लेखा अंकेक्षण कराना। सामाजिक अंकेक्षण कराना।

4.1.19 परियोजना के कार्यकलापों की भौतिक और वित्तीय प्रगति और परिणामों का अंकेक्षण करना और संधारित करना। सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रिकार्ड संधारित करना। संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना।

4.1.20 नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा अंकेक्षण की रिपोर्ट जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना।

4.2 वाटरशेड कार्य चरण में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर द्वारा परियोजना निधि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा वाटरशेड समितियों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न मदों में निर्धारित प्रयोजनों व कार्यो के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

5 **<u>समेकन तथा निवर्तन चरण</u>** :–

5.1 इस चरण का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड कार्य चरण में विकसित किये गये संसाधनों और सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों से प्राप्त हो रहे लाभों और ग्रामीण समुदाय के बीच ऐसी सुदृढ़ कड़ी/संयोजन स्थापित करना है, जो उत्पादकता स्तरों को बढ़ाकर ग्रामीणों की संवाहनीय आजीविका प्रदान कर सके। इस चरण के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार होंगे :–

5.1.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य उत्तरकालीन प्रस्तावों में शामिल कार्यकलापों और प्रयोजनों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति/प्रगति का आंकलन कर अपूर्ण कार्यो को पूरा करना। सभी पूर्ण कार्यो का सत्यापन करना और कार्य पूर्णता रिपोर्ट तैयार करना। निष्पादित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना।

5.1.2 विकसित एवं सरक्षित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रबंधन तथा इनसे प्राप्त होने वाले लाभो का समुचित वितरण करना।

5.1.3 वाटरशेड विकास निधि के उपयोग के नियम बनाना और वाटरशेड विकास निधि के बैंक एकाउण्ट का संचालन प्रारंभ कराना।

5.1.4 शासकीय/सामुदायिक भूमि पर निष्पादित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो के फलस्वरूप निर्मित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों की मरम्मत, रख–रखाव तथा संरक्षण करना। इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का समानता के आधार पर वितरण

सुनिश्चित कराना। लाभ लेने वाले ग्रामीणों से उपयोगकर्ता प्राभारों का एकत्रिकरण। इसी प्रकार निजी भूमि पर निष्पादित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो के फलस्वरूप निर्मित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों की मरम्मत, रख–रखाव तथा संरक्षण संबंधित उपयोगकर्ता समूह के द्वारा करवाना और इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का समानता के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराना।

5.1.5 सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों की मरम्मत, रख–रखाव तथा संरक्षण करना। इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का समानता के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराना। लाभ लेने वाले ग्रामीणों से उपयोगकर्ता प्राभारों का एकत्रिकरण।

5.1.6 लागू कृषि उत्पादन प्रणालियों का सघनीकरण (Intensification) तथा उत्तरोत्तर विकास।

5.1.7 अजीविका संबंधी कार्यकलापों और लघु उद्यमों का विश्लेषण तथा इनकी गतिविधियों का का सघनीकरण (Intensification) और समेकन। स्व–सहायता समूहों को प्रदत्त की गई परिक्रामी निधि का एकत्रिकरण।

5.1.8 उत्पादों की विपणन व्यवस्थओं तथा कृषि से इतर और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना। बाजारों के साथ बेहतर सम्पर्क स्थापित करना।

5.1.9 परियोजना समाप्ति के पश्चात् विभिन्न सामुदायिक संगठनों नामतः उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समिति के आपेक्षित दायित्वों विशेषकर रख–रखाव, लाभों का वितरण इत्यादि के संबंध में क्षमता निर्माण करना।

5.1.10 अपनाई गई प्रक्रियाओं और निष्पादित कार्यो/प्रयोजनों की सतत् निगरानी/मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और सत्यापन। मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर परियोजना निधि से नियमानुसार व्यय एवं भुगतान। ऑनलाईन मॉनिटरिंग के लिए एम.आई.एस. का संधारण।

5.1.11 प्राप्त अनुभवों तथा अभिनव प्रयासों व प्राप्त किये गये ज्ञान के प्रलेख तैयार करना।

5.1.12 परियोजनाओं का अंतिम मूल्यांकन तथा प्राप्त हुए प्रभावों और परिणामों का आंकलन

5.1.13 परियोजना के कार्यकलापों के सभी दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का संधारण पूर्ण करना। इन दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व

रजिस्टर का परीक्षण और अंकेक्षण कराना। वार्षिक लेखा अंकेक्षण कराना। सामाजिक अंकेक्षण कराना।

5.1.14 परियोजना के सभी कार्यकलापों की अंतिम भौतिक और वित्तीय प्रगति का अंकेक्षण करना और संधारित करना। अंतिम लेखा अंकेक्षण कराना।

5.1.15 परियोजना का समाज को हस्तांतरण। एग्जिट प्रोटोकॉल की कार्यवाही पूर्ण करना।

5.1.16 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी और वाटरशेड समितियों के स्तर पर अवशेष परियोजना निधि जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को वापस करना। इसके साथ ही अंतिम भौतिक और वित्तीय प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंतिम लेखा अंकेक्षण भी जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना की चरणबद्ध आयोजना और कार्यान्वयन कराये।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.11427/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 23/08/10
प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग